अनुदान संख्या 85 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
GRANT No. 85–MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1342,06,00		1342,08,00	1150,60,53	–191,47,47
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					185,92,92
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			127,50,00	89,62,00	–37,88,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					37,88,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	13752.00			
पू.	S.	1.00	5799.12	5744.60	–54.52
पु.	R.	–7953.88			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	29000.00			
पू.	S.	1.00	26617.81	26325.66	–292.15
पु.	R.	–2383.19			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	5604.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–5604.00			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	83805.00	81333.64	81144.77	–188.87
पु.	R.	–2471.36			
मुख्य शीर्ष "3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	579.00	444.13	442.48	–1.65
पु.	R.	–134.87			

(I) 12008.00 लाख रु. का प्रावधान (एक मामले में 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 11704.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः-

(I) Provision of Rs.12008.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in one case) remained wholly unutilised under sixteen heads; of these Rs.11704.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225'' - "अनुसूचित जातियों का कल्याण''-

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Castes" -

(क) "शिक्षा - अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए रिहायशी विद्यालय''- 950.00 लाख रु. स्कीम तैयार न किए जाने के कारण थे।

(a) "Education - Residential Schools for Scheduled Castes Students" - Rs.950.00 lakhs - due to non-formulation of the scheme.

(ख) "अन्य व्यय - मैला ढोने वालों की मुक्ति और उनके पुनर्वास से संबंधित राष्ट्रीय स्कीम''-

(b) "Other Expenditure - National Scheme of Liberation and Rehabilitation of

4000.00 लाख रु. शहरी विकास और गरीबी निवारण मंत्रालय को स्कीम का अंतरण किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - बाल कल्याण - देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले कामकाजी बच्चों के कल्याण संबंधी स्कीम"- 700.00 लाख रु. इस तथ्य के कारण थे कि इस स्कीम को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना था।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान"- 5604.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से शेष निधियां अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601' - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - रिहायशी पब्लिक स्कूलों में अध्ययन जारी रखने के लिए अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को सहायता"- 450.00 लाख रु. योजना तैयार न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2225" - "सामान्य - अन्य व्यय - मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान" के अंतर्गत 2625.00 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कायिक निधि जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान"- 176.50 लाख रु. की बचत (430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, रिक्त पदों की वजह से विभिन्न पाठ्यक्रमों के पूरा न होने, तिमाही पत्रिका का प्रकाशन लंबित रहने और बाल प्रतिष्ठान के लिए निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "विकलांगों का कल्याण"-

Scavengers" - Rs.4000.00 lakhs - due to transfer of the scheme to the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation.

(B) Major Head "2235" - "Social Welfare - Child Welfare - Scheme for Welfare of Working Children in need of Care and Protection" - Rs.700.00 lakhs - due to the fact that the scheme was awaiting approval of Honourable Supreme Court.

(C) Major Head "2552" - "Other Expenditure - Lumpsum provision for Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.5604.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance funds owing to non-receipt of adequate proposals under various schemes.

(D) Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes - Education - Assistance to Meritorious Scheduled Caste Students for pursuing Studies in Residential Public Schools" - Rs.450.00 lakhs - due to non-formulation of the scheme.

(II) Under Major Head "2225" - "General - Other Expenditure – Grants-in-aid to Maulana Azad Education Foundation" – saving of Rs.2625.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 3000.00 lakhs) was due to non-approval of competent authority for releasing the corpus fund.

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads :-

(A) "Direction and Administration – National Institute of Social Defence" – saving of Rs.176.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.430.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-completion of various courses owing to vacant posts, delay in publication of quarterly journal and non-release of funds for child foundation.

(B) "Welfare of Handicapped" -

(क) "राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक रूप से मंद और अस्थि विकलांग संस्थान का विस्तार और सुधार''- 340.09 लाख रु. की बचत (5708.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से भवन का अनुमान प्राप्त न होने की वजह से शारीरिक रूप से विकलांग संस्थान से प्रस्ताव प्राप्त न होने और शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Expansion and Improvement of National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopaedically Handicapped" – saving of Rs.340.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5708.00 lakhs) was due to non-receipt of proposal from the Institute of Physically Handicapped owing to the non-receipt of building estimates from the Central Public Works Department and non approval by Expenditure Finance Committee for teaching courses.

(ख) "अन्य स्कीमें''- 1220.97 लाख रु. की बचत (15215.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुनर्वास विज्ञान कालेज स्थापित किए जाने के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने, जागरूकता उत्पन्न करने वाली स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने और संस्थान से उपयुक्त और पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Other Schemes" – saving of Rs.1220.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 15215.00 lakhs) was due to non-approval by Expenditure Finance Committee for setting up the College of Rehabilitation Sciences, non-approval of awareness generation schemes, availability of unspent balances with implementing agencies and non receipt of adequate and complete proposals from Institutes.

(गा) "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता''- 199.40 लाख रु. की बचत (1780.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू परियोजनाओं से संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट/सिफारिशें कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Assistance to Voluntary Organisations - Assistance to Voluntary Organisations for Programmes relating to Aged" – saving of Rs.199.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1780.00 lakhs) was due to less-receipt of inspection report/recommendations for ongoing projects.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(IV) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - अतिरिक्त कोचिंग के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन''- 5614.83 लाख रु. की बचत (5800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्कीम के आशोधन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Scheduled Castes-Education - Upgradation of Merit of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students through Extra Coaching" - saving of Rs.5614.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5800.00 lakhs) was due to non-approval of the modification of the scheme by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(खा) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण - विकलांगों को रोजगार''- 170.16 लाख रु. की बचत (190.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Social Welfare-Welfare of Handicapped– Employment of Handicapped" – saving of Rs.170.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.190.00 lakhs) was due to non-receipt of

तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार की राज्य सरकारों से उपयुक्त और पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

adequate and complete proposals from State Governments of Tamil Nadu, Karnataka and Bihar.

(V) मुख्य शीर्ष "3602" - ""केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - अन्य स्कीमें" के अंतर्गत 149.02 लाख रु. की बचत (314.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Castes-Education – Other Schemes" – saving of Rs.149.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.314.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from the Union Territory Governments.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत 246.23 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under three heads savings of Rs.246.23 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 21 percent to 44 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1235.87 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध- II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.1235.87 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under Major Head "3601" - under the following heads :-

(का) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता - अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीमें"- 707.55 लाख रु.।

(A) "Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Scheduled Castes-Special Central Assistance for Scheduled Castes Component Plan – Schemes under Special Central Assistance for Scheduled Castes Component Plan" – Rs.707.55 lakhs.

(खा) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा"-

(क) "मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति"- 327.32 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 240.02 लाख रु. था।

(ख) "मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति"- 201.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 170.00 लाख रु. था।

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Backward Classes - Education"-

(a) "Post-Matric Scholarship" - Rs.327.32 lakhs. Actual excess, however, was Rs.240.02 lakhs.

(b) "Pre-Matric Scholarship" - Rs.201.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.170.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) The savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम - द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत शुल्क मुक्त परेषण की साज-संभाल, निकासी" के अंतर्गत 124.00 लाख रु. का अधिक व्यय (382.00 लाख रु. के

(A) Under Major Head "2235" - "Social Welfare – Other Programmes – Handling, Clearance of Duty-free Consignment under Bilateral Agreements" – excess of Rs.124.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.382.00

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी उपहार मदों के संबंध में साज-संभाल और परिवहन प्रभारों के लंबित बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(क) ''अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा''-

(i) ''बाल छात्रावास''- 1275.18 लाख रु. का अधिक व्यय (1750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक छात्रावासों का निर्माण किए जाने की वजह से तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ii) ''नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की मशीनरी''- 519.83 लाख रु. का अधिक व्यय (3050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बकाया राशि की अदायगी किए जाने की वजह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और राजस्थान की राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(iii) ''मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति स्कीम''- 577.47 लाख रु. का अधिक व्यय (25800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोर अपसमायोजन से बचाव और उस पर नियंत्रण''- 199.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1364.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदान की अनुरक्षण दर में पहली अप्रैल, 2003 से संशोधन हो जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

lakhs) was due to clearance of pending bills of handling and transportation charges in respect of foreign gifted items.

(B) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - excess occurred under the following heads:-

(a) "Welfare of Scheduled Castes-Education"–

(i) "Boys Hostels" – excess of Rs.1275.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1750.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from State Governments of Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Karnataka owing to construction of more hostels.

(ii) "Machinery of Implementation of Protection of Civil Rights Act, 1955 and Prevention of Atrocities Act, 1989" – excess of Rs.519.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3050.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from State Governments of Madhya Pradesh, Maharashtra, Kerala, Punjab and Rajasthan owing to payment of arrears.

(iii) "Post-Matric Scholarship Scheme" – excess of Rs.577.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25800.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Social Welfare-Correctional Services – Prevention and Control of Juvenile Maladjustments" – excess of Rs.199.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1364.00 lakhs) was due to revision of rate of maintenance grant with effect from 1st April, 2003.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes					
मू.	O.	10939.00				
				8962.00	8962.00	. .
पु.	R.	–1977.00				
मुख्य शीर्ष "4235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4235" Capital Outlay on Social Security and Welfare					
मू.	O.	1000.00				
				. .	. .	. .
पु.	R.	–1000.00				
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	711.00				
				. .	. .	. .
पु.	R.	–711.00				

(I) 1811.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1711.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.1811.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.1711.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4235" - "समाज कल्याण - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम"- 1000.00 लाख रु. निगम के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4235" – "Social Welfare – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Handicapped Finance and Development Corporation"-Rs.1000.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous year with the Corporation and non-holding of meeting of Expenditure Finance Committee.

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान"- 711.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र से उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम"- 500.00 लाख रु. की बचत (1510.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम"- 477.00 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम"- 1000.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें सभी निगमों के लिए एक व्यय वित्त समिति ज्ञापन तैयार करने के लिए योजना आयोग के सुझाव को शामिल करने की वजह से व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित न किए जाने के कारण हुईं।

(B) Major Head "4552" - "Other Expenditure-Lumpsum provision for benefit of North Eastern Region" - Rs.711.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and the balance amount surrendered owing to non-receipt of adequate proposals under various schemes of the Ministry from North Eastern Region.

(II) Under Major Head "4225" – "General – Investment in Public Sector and Other Undertakings" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance Development Corporation" – saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1510.00 lakhs);

(B) "National Backward Classes Finance and Development Corporation" – saving of Rs.477.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs); and

(C) "National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation" – saving of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-holding of meeting of Expenditure Finance Committee owing to incorporation of suggestion of the Planning Commission to prepare single Expenditure Finance Committee memo for all the Corporations.